भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1274
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

वर्चुअल न्यायालय

1274. श्री अर्जुन लाल मीणा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान सहित देश के उच्च न्यायालयों में आभासी कार्यवाहियां करने के लिए वर्चुअल न्यायालयों/शाखाओं की स्थापना करने की किसी योजना पर कार्य कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थापित किए जाने वाली वर्चुअल शाखाओं का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के विकास के लिए 2007 से कार्यान्वयन के अधीन है। ई-न्यायालय परियोजना को न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय की संयुक्त साझेदारी के अधीन संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से लागू किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधाएं, ई-फाइलिंग आदि की वृद्धि ई-न्यायालय परियोजना के महत्वपूर्ण घटक हैं।

जहां राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है और इलाके मुश्किल है, वहां उच्च न्यायालयों की अतिरिक्त पीठों की स्थापना के लिए राज्यों की लंबे समय से मांग रही है। उच्च न्यायालय की अतिरिक्त न्यायपीठों की स्थापना के लिए, एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें अधिक समय लगता है। उच्च न्यायालयों की आभासी पीठों की स्थापना का निर्णय संबंधित उच्च न्यायालयों का एक प्रशासनिक मामला है और केंद्रीय सरकार इस मामले में सीधे शामिल नहीं है। तथापि, राज्य के विभिन्न जिलों में ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के माध्यम से आभासी पीठों के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए तत्कालीन माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा सभी उच्च न्यायालयों (राजस्थान सहित) के मुख्य न्यायाधीशों को तारीख 09.03.2023 को एक पत्र संबोधित किया गया था ताकि जिले से सीधे उच्च न्यायालयों तक पहुंच बनाई जा सके और इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके जिससे कि उस क्षेत्र / जिले में उच्च न्यायालय की एक अतिरिक्त पीठ अन्यथा प्रदान की जा सके । विधि और न्याय मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा भी तारीख 11.10.2023 को एक अनुस्मारक पत्र संबोधित किया गया था।

इस क्षेत्र में नेतृत्व करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय (कटक) ने जिला न्यायालयों में उच्च न्यायालय के 20 वर्चुअल पीठ स्थापित किए हैं, जो अधिवक्ताओं / पक्षकारों को आभासी उच्च न्यायालय केंद्रों के माध्यम से उपस्थित होने और उच्च न्यायालय के समक्ष मामलों का संचालन करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके लिए दिशानिर्देश उड़ीसा के उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ई-कोर्ट परियोजना ने देश में मौजूद डिजिटल अंतर को पाटने के लिए वीसी, वर्चुअल सुनवाई, ई-फाइलिंग और ई-कोर्ट परियोजना की अन्य सुविधाओं के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करने के लिए विभिन्न कोर्ट परिसरों में ई-सेवा केंद्रों की सुविधा प्रदान की है। विभिन्न जिलों में ई-सेवा केंद्रों से मामलों की ई-फाइलिंग और आभासी सुनवाई के माध्यम से भागीदारी आम नागरिकों को उच्च न्यायालयों की विधिक सेवाओं की पहुंच का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। तारीख 31.12.2023 तक, विधि व्यवसायियों और वादकारियों को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने में इस पहल के सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करते हुए देश भर में कुल 880 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। परियोजना के चरण 3 के अधीन, डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, 4400 ई-सेवा केंद्रों वाले सभी कोर्ट परिसरों की संतृप्तिकरण का उपबंध 394.48 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ किया गया है।

संसदीय स्थायी समिति ने 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आभासी न्यायालयों/न्यायालय की कार्यवाही के कार्यकरण' पर अपनी 103वीं रिपोर्ट में भी आभासी न्यायालयों की स्थापना के महत्व और उपयोगिता पर जोर दिया है।

सितंबर 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ रुपये के बजट के साथ ई-कोर्ट परियोजना के चरण-3 को मंजूरी दे दी है। चरण-3 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपलब्ध बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उन्नत करने का उपबंध है, जो आभासी सुनवाई के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है । पूरे भारत में 10,200 न्यायालयों में सुविधाओं के उन्नयन के भौतिक लक्ष्य के साथ वीसी सुविधाओं के विस्तार के लिए 228.48 करोड़ रुपये की निधि निर्धारित की गई हैं।

****